EX. 370/67/11

रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 22

5-1-72
[3 JAN 1972

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 117] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अगस्त 12, 1971/श्रावण 21, 1893

No. 117] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 12, 1971/SRAVANA 21, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 12th August 1971

SUBJECT.—*Licensing conditions applicable to licences issued under the £1.0 million allocation for NSCI under UK/India Capital Investment Loan,* **1971.**

No. 100-ITC(PN)/71.—The terms and conditions governing the issuance import licences against the £ 1.0 million allocation for NSIC under UK/Indi Capital Investment Loan, 1971 as given in Appendix to this Public Notice notified for information of the trade.

APPENDIX

Schedule of conditions applicable to licences issued under the £1.0 million allocatio for NSIC under the UK/India Capital Investment Loan, 1971.

SECTION I.—*General conditions.*

Each import licence number will contain a suffix "NSIC(71)" apart from full licence Code. The full licence Code will have to be mentioned in the invoic the bill of lading and the bills of entry.

2. No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except UK bank charges which may be remitted through normal banking channel. Any payment towards Indian Agent's commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of licence value and will, therefore, be charged to the licence.

3. The licence will be issued with an initial validity period of 12 months. Firm orders, on CIF or C and F basis, must be placed within 4 months from the date of ... e of import licence. If orders can not be placed within 4 months for valid reasons, the licence should be submitted to the licensing authority during the 5th month giving the reasons for the delay in placing orders and indicating the date by which orders would be placed and extension in the period for ordering as necessary. Such requests will be considered on merits by the CCI and E, in consultation with ... Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) where necessary. (*It should be noted that unless ordering is completed within 4 months, or the extended period allowed by licensing authority, the authorised dealers in foreign exchange will not permit establishment of letters of credits, or deposit of rupee equivalents*).

4. All payments must be completed within one month after expiry of licence at in any case shipment and payment to the U.K. Suppliers must be completed by 28th February, 1975. Individual payments must be arranged upon shipment of ... No credit facility of any kind will be permitted.

SECTION. II.—*Special points to be incorporated in the orders/contracts or otherwise kept in view.*

(1) While placing orders/contracts which must be placed only on suppliers in ... UK(which expression includes the Channel Islands and the Isle of Man), the licensee must ensure by a provision in the same that the goods purchased are or ill be wholly or mainly produced or manufactured in the UK or, in the case of chemicals and allied products are duly declared to be of UK origin on the form attached as Annexure II(B). When the contracts also provide for works and services in connection with the purchase of such goods, it must similarly be ensured ... a suitable provision therein that such works and services are or will be provided y persons ordinarily resident of carrying a business in the UK. (It should be ...d that the supplier/contractor will have to sign a Contract Certificate as provided in Section III below, indicating the non-UK content, if any, of the goods to ... supplied, or in the case of chemicals and allied products, declare them to be of ...K origin). If the non-UK element is likely to exceed 10 per cent of the F.O.B. value of the contract, this should be brought to the notice of the Department of Economic Affairs, the Controller of Aid Accounts, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi, particularly in those cases in which the contracts are upto £25,000 in value and as such do not need the prior approval of the UK Government and firm commitments should be entered into only if the Department of Economic Affairs agree.

(2) In the case of contracts of value exceeding £25,000, a clause should specifically be included in the contract to the effect that the contract is subject to and will become effective only on approval by the UK Government.

(3) The documentation requirements mentioned in Section III and V below and ...e payment procedure laid down in Section IV below should be kept in view and should be appropriately incorporated in the contract.

SECTION III.—*Contract Acceptance.*

Notification of contracts and amendments thereto.

A. Cases where the contracts are for amounts exceeding £25,000

(1) Within a fortnight of placing of orders, the licensee should forward four copies of the contract or notification of contract (in the form attached as Annexure I) accompanied by five copies of the "contract certificate" [in the form attached as Annexure II or as Annexure II(B)" as is appropriate] duly signed by the supplier, to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance Jeevan Deep Building 10, Parliament Street, New Delhi.

(N.B.—*As no payments can be made unless the contract is duly approved by the U.K. Government it is imperative for the licensee to ensure that copies of contract/notification of contract along with supplier's contract certificate are forwarded to the Ministry of Finance in the manner stated above at the earliest*).

(2) While forwarding the above documents to the Ministry of Finance it must be insured by the licensee that the number and date of the import licence and the name of the UK Credit are clearly noted in the documents.

(3) The Ministry of Finance will arrange through the Chief Accounting Officer, High Commission of India, London to file a set of the documents with the UK Government for obtaining their acceptance to the payment under the contract being made out of UK Credit. As soon as possible after the acceptance or non acceptance of the contract by the UK Government is obtained the UK supplier as well as the licensee will be informed of the same direct by the Chief Accounting Officer, High Commission of India, London under advice to the Ministry of Finance.

(4) If at any time a contract (being a contract in respect of which acceptance of UK Government has been obtained or is pending) is amended, or if liability is to be incurred thereunder to a greater amount than the amount specified in the contract certificate, the licensee should promptly forward the relevant supplementary or revised documents, copies of amendments to contract and "Contract Certificates" to the Ministry of Finance in order to enable them to notify the same to the UK Government for obtaining their acceptance. As soon as acceptance to an amendment to the contract/order is obtained from the UK Government, the licensee and the Ministry of Finance will be notified by the High Commission of India, London in the same manner as for the original contract.

(5) If, in any case, the contract is with the Indian Agent of the Foreign supplier, it should indicate the name of the UK supplier to whom payment is to be made for the sterling portion of the contract, which alone will qualify for payment under the loans. Copies of such contracts (or of contracts placed by Indian Agents with UK Suppliers, if there are such separate contracts) should be sent as prescribed above.

B. Cases where the contracts are of a value upto £ 25,000

The UK Government approval is not required for such contracts. Within a fortnight of placing of orders, the licensee should send four copies of the contract or Notification of Contract (Annexure I), accompanied by five copies of the 'Contract Certificate' [in the form attached as Annexure II or Annexure II(B) as is appropriate] duly signed by the supplier to the Controller of Aid Accounts, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi.

SECTION IV.—*Documents, copies of amendments to contract and revised Payment to UK suppliers-letter of credit procedure.*

(1) (A) *Where the value of the contract is upto* £ 25,000 (and therefore the approval of the UK Government to the contract is not required), the licensee should apply to the Controller of Aid Accounts, Economic Aid Accounts Branch, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi for a letter of authorisation (the request to be in the form given in Annexure III), to any of the nominated branches of the State Bank of India for opening a letter of credit in favour of the UK suppliers with one of the correspondent Banks in the UK.

(B) *Where the value of the contract exceeds* £ 25,000, the licensee should approach the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs, Economic Aid Accounts Branch), New Delhi for a letter of authorisation in the above manner only after the acceptance of the contract by the UK Government has been intimated by the High Commission of India, London.

(2) If the application is found to be in order, the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs will issue authorisation for the requisite amount to the importer and the nominated branch of the State Bank of India. The Ministry of Finance will also advise the UK branch concerned and the Chief Accounting Officer, High Commission of India, London suitably. The advice to the UK Branch will

however, be sent to the nominated branch of the State Bank of India alongwith their copy of the authorisation letter, who should then transmit it to the UK bank while opening the letter of credit.

(3) The letter of credit should be opened within a month from the date of issue of the authorisation (under intimation to the Ministry of Finance) failing which the authorisation shall Lapse. The letter of credit should detail the conditions to which the licence is subject should provide for payments to the suppliers on the submission of all documents detailed in Section V. below, should contain adequate instructions regarding the despatch of documents after payment, and should be opened subject to the condition that the correspondent Bank in UK will, after making payments to the beneficiaries initialy out of their own funds obtain reimbursement from the State Bank of India, London through the Chief Accounting Officer, High Commission of India, London. The instructions from the nominated branch of the State Bank of India regarding the opening of letter of credit must accord completely with the authorisation issued by the Ministry of Finance. There should be no discrepancies in any respect.

(4) The letter of credit should clearly have the identification mark "£1 million" pound" allocation for NSIC under the UK/India Capital Investment Loan 1971 and should contain the import licence number including the suffix "NSIC(71)."

SECTION V—*Documentation.*

(1) The importer is responsible to see that the UK Supplier completes and submits the documents detailed below to the UK Bank at the time of claiming payment for the goods supplied.

(i) The original invoice with four photo copies or copies by any other process. The invoice should show the name and address of the importer, quantity and detailed description of each item supplied, sales price for each item reflecting all trade discounts, the basis of delivery (C and F or CIF), and the sterling cost of any incidental services including delivery services or marine or transportation insurance.

(ii) One copy (or photostat) of each or charter party bill of lading or airway bill or parcel post receipt. (The Bill of Lading shall indicate the carrier's statement of charges in whatsoever currency it is paid).

(iii) Four copies of the Payment Certificate in the form given in Annexure IV [not required in respect of contracts for which a Contract Certificate (Chemicals) in the form given in Annexure II(B) has been provided]. For this purpose, five blank forms of the Payment Certificate in the prescribed form should be attached to the letter of credit for completion by the supplier at the time of obtaining payment.

Each document must show the loan number, details of import licence, and if possible, the particulars of the letter of credit authorisation issued by the Ministry of Finance.

(2) While opening Letters of Credits the authorised exchange bank in India will, on behalf of the importer, take care to incorporate necessary conditions in the Letter of Credit to ensure that the above requirements of documentation are noted and complied with by the UK Suppliers.

(3) After payment is made to the UK Supplier, the correspondent bank in the UK will send by air mail the original negotiable set of documents to the nominated branch of the State Bank of India concerned. (The Indian Bank will remit the bank charges to the UK Government and recover the same from the importer). Simultaneously the UK Bank will claim the reimbursement of the amounts paid by it to the suppliers from the Chief Accounting Officer, High Commission of India, London and will submit for this purpose invoices received from the suppliers and Payment Certificates as in Annexure IV where required. The Chief Accounting Officer, High Commission of India will arrange payments to the U.K. Bank through the State Bank of India, London.

SECTION VI.—*Indian Bank's responsibilities for rupee deposits.*

(1) Within 7 days of the receipt of the advice of payment along with shipping documents from the UK correspondent bank, the nominated branch of the State Bank of India concerned shall collect from the importer the cost of import in rupees at the rate of Rs. 18.18 per £ 1.00 [see (4) below] plus interest charges at 6 per cent per annum for the period from the date of payment to UK suppliers by the UK bank to the date of deposit of the rupee equivalent.

(2) The amount referred to above should be deposited by the nominated branch of the State Bank of India concerned, to the credit of the Government of India in the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Delhi or if this is not feasible should be remitted by means of Demand Draft drawn on and in favour of the State Bank of India, Tis Hazari, Branch, Delhi. Thereafter, the treasury challan evidencing the deposit should be sent by registered post to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Economic Aid Accounts Branch, Jeevan Deep Building, 10, Parliament Street, New Delhi indicating references to and enclosing copies of the invoices, shipping documents and the authorisation of that Department to which the transaction relates. The nominated branch of the State Bank of India concerned shall also arrange to deposit in the same manner such additional amounts on account of service charges as may be demanded by the Government of India, within 7 days after such demand. The licensee should also fill in in duplicate the form 'S' incorporated in Annexure II of the Public Notice No. 184-ITC(PN)/68, dated 30th August, 1968 and present the same to their Bank while arranging for rupee deposits in accordance with the procedure prescribed in the said Public Notice.

(3) The amount including interest charges to be deposited to the Credit of the Government of India shall be creditable under the Head of Account "Section T. Deposits and Advances—Part II—Deposits—Deposits not bearing interest—(c) Other Deposits Accounts—Civil Deposits—Deposits for purchases abroad from UK-Purchases under UK-Loan—Purchase under the UK/India Capital Investment Loan, 1971-NSIC Segment of £1 million and the Accountant General Central Revenues, New Delhi shall be shown as the Accounts Officer who will adjust these credits.

(4) The rate of exchange *viz.* £ 1.—Rs. 18.8 mentioned above is the prevailing 'Composite' rate of exchange and any change in the same will be notified as and when decided upon by the Government or India.

SECTION VII.—*Reports on the utilisation of the import licence.*

A monthly report, in the form attached in Annexure V showing the utilisation status of the licence, should be furnished by the 15th of each month to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Economic Aid Accounts Branch, New Delhi with a copy to the Ministry of Industrial Development, Foreign Exchange Credit Section, Udyog Bhavan, New Delhi.

SECTION VIII.—*Miscellaneous instructions*

(1) *Refund from UK suppliers.* If any money is received by the licensee from the UK Suppliers or a guarantor (insurance company etc.) as a refund or in settlement of insurance claim or otherwise, such amounts should be refunded by the supplier to the concerned correspondent bank in the UK (from which the payment was initially made to the suppliers) with instructions to refund the amount immediately, in turn, to C.A.O. High Commission of India, London for crediting the loan Account. After the loan account is so credited, an equivalent amount in rupees will be arranged to be refunded to the importer by the Ministry of Finance, upon receipt of claim therefor from the importer. If any refund is received after the clearance of the loan, the same will have to be made by the supplier direct to the importer.

As and when any such refund is received, a report thereof should also be made to the Ministry of Finance with a copy to the Ministry of Industrial Development, Foreign Exchange Section, Udyog Bhavan, New Delhi.

(2) *Notifying Suppliers of Special conditions.*—The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the import licence which may effect, the suppliers in carrying out the transaction.

(3) *Disputes.*—It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers.

(4) *Future Instructions.*—The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the credit agreement.

Breach or Violation: Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

Section IX	*List of Annexures by Titles*
Annexure I	Notification of Contract.
Annexure II	Contract Certificate.
Annexure II(B)	Contract Certificate (Chemicals).
Annexure III	Form of Application for Letter of Credit Authorisation.
Annexure IV	Payment Certificate.
Annexure V	Monthly Report on ordering and utilisation of import licence.

ANNEXURE I

Notification of Contract

UNITED KINGDOM/INDIA CAPITAL INVESTMENT LOAN, 1971
(NSIC Segment of £ 1 million).

To

The Government of the United Kingdom.

.....

Notification of Contract No it is proposed that payments shall be made in accordance with the terms and conditions of the above Loan.

1. Name and address of United Kingdom Contractor.
2. Date of Contract.
3. Name of Indian Purchaser.
4. Short description of goods and/or works or services.
5. Value of Contract: £
6. Terms of Payment:

Singned on behalf of the importer

Date

ANNEXURE II

FCO (ODA) Acceptance No.

UNITED KINGDOM/INDIA CAPITAL INVESTMENT LOAN, 1971
(NSIC Segment of £ 1 Million)

CONTRACT CERTIFICATE

Particulars of Contract

1. Date of contract 2. Contract No.

3. Description of goods or services to be supplied to the purchaser.
.....
.....

(If a number of items are to be supplied a detailed list should be appended to this certificate)

4. Total contract price payable by purchaser (state CIF, C&F or FOB) £

IF GOODS ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTIONS MUST BE COMPLETED

(If the contractor is exporting agent only, the information requested should be obtained from manufacturer).

5. Estimated % of the FOB value of the goods *not* originating in the United Kingdom, but purchased by the Contractor directly from abroad *i.e.*, % of imported raw material or components used in manufacture.

(a) % FOB value.....

(b) Description of items and brief specifications.....

6. If any raw material or components used originated from abroad, *e.g.*, copper, asbestos, cotton, wood pulp, etc., but have been purchased in the United Kingdom by the contractor for this contract, specify:—

(a) % FOB value

(b) Description of items and brief specifications.....

IF SERVICES ARE TO BE SUPPLIED THE FOLLOWING SECTION SHOULD ALSO BE COMPLETED :

7. State the estimated value of any work to be done or services performed in the purchaser's country by

(a) Your firm (site engineers charges, etc.).....

(b) Local contractor.....

8. Qualifying remarks as necessary in respect of paragraphs 5,6 or 7 above.....

9. I hereby declare that I am employed by the United Kingdom by the Contractor named below and have authority to sign this certificate. I hereby undertake that in performance of the contract no goods or services which are not of United Kingdom origin will be supplied by the Contractor other than those specified in paragraphs 5, 6, 7 and 8 above.

Signed.....
Position held.....
Name and address of Contractor.....
.....
Date

Note : for the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

Contractors should note that goods should not be manufactured until acceptance has been noti
(Not applicable to contracts valued at less than £ 25,000).

OFFICIAL USE ONLY ne or number of Project.....	PAYMENTS			
	Date	Amount	PA No.	Initials.

Amount Committed	Date of entry	Acceptance	
		Date	Initials

ANNEXURE II (B)

UNITED KINGDOM/INDIA CAPITAL INVESTMENT LOAN, 1971
(NSCI SEGMENT OF £ 1 MILLION)

CONTRACT CERTIFICATE FOR CHEMICAL AND ALLIED PRODUCTS ONLY.

1. Date of Contract.....Contract No.....Import Licence No.....Date

2. Description of Product(s) to be supplied to Purchaser (NOTE A)	£ Price	UK Tariff Classification No. (Note B)	Is the product of UK origin (See Note C) State 'Yes' or 'No'
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

3. Total/Estimated/Contract Price payable by Purchaser in Sterling—£

4. (Declaration) I hereby declare that I am employed in the United Kingdom by the Contractor named below and have the authority to sign this certificate, and that the above information is correct.

Signed

Position held

Name and Address of Contractor.....

Date.....

NOTES

A. This form is only to be used for chemical and allied products, most of which are covered by the appropriate sub-headings of Chapters 15, 25, 28-35 and 37-40 of the UK Tariff

B. SEE:—

(i) HM Customs and Excise Tariff HMSO.

(ii) Classification of Chemicals in Brussels Nomenclature HMSO.

C. (i) 'A product is regarded as of 'UK origin' if made either wholly from indigenous UK materials *OR* according to the appropriate 'EFTA' qualifying process using imported materials wholly or in part.

(ii) The EFTA qualifying processes are set out in Schedue I of the 'EFTA Compendium for the Use of Exporters', HMSO.

(iii) For the purposes of this declaration it is to be emphasised that the alternative percentage criterion' DOES NOT APPLY.

(iv) The words 'Area Origin' where they appear in the above Schedule must be taken to mean 'UK Origin' only

(vi) For the purposes of this declaration, the 'Basic Materials List' (Schedule III of the EFTA Compendium) doest not apply.

(vi) If a qualifying process is not listed for the material in question advice should be sought from the Government of the United Kingdom.

D. For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Island and the Isle of Man.

ANNEXURE III

Form of Application for Letter of Credit Authorisation.

To

The Senior Accounts Officer,
Economic Aid Accounts Section,
Ministry of Finance,
(Deptt. of Economic Affairs),
Jeewan Deep Building,
Parliament Street,
New Delhi.

SUBJECT :—Import of———————————————from UK under UK/India Capital Investment Loan 1971 (NSIC Segment of £ 1 Million).

Sir,

In connection with the import of———————————from UK against the above UK Loan, we furnish the following particulars to enable you to issue us authorisation for opening a Letter of Credit through our bankers on the UK Bank designated by you:—

(a) Particulars of Import Licence:

No. & Date	Value (Rs.)	Date upto which valid

(b) Sterling value licence. (Calculated of £ 1 per Rs. 18/-).

(c) Sterling value of the orders placed for which authorisation is required specifying the names and address of the UK supplier/suppliers and the amount/s of authorisations required separately against each supplier (copy or orders Placed and UK suppliers' acceptance thereof to be attached).

(d) Name of UK correspondent Bank on whom the Letter of Credit is to be established.

(e) Name of the Indian Bank which has furnished the Bank Guarantee and which will open the Letter of Credit.

The Bank Guarantee furnished by———————————and which has been duly adjudicated by the Collector in accordance with the provisions of section 31 of the Stamp Act, 1899, is attached.

Yours faithfully,

(Signature of the Licensee and full Address).

ANNEXURE IV

UNITED KINGDOM/INDIA CAPITAL INVESTMENT LOAN, 1971
(NSIC SEGMENT OF £ 1 MILLION)

Payment Certificate

I hereby certify that:

(i) the payments referred to in the invoices listed below, which or copies of which accompany this payment certificate, fall due and are due to be made in respect of Contract No.....dated..... between the contractor named below and..... [Purchaser]....., and are in accordance with the particulars of this contract notified in the contract certificate signed on behalf of the said contractor on.....,

Contractor's Invoice No.	Date	Amount £	Short description of goods, works and/or services

(ii) The amounts specified in paragraph (i) do not include any additional foreign content to that declared in paragraphs 5, 6 or 7 of the contract certificate.

(iii) I have the authority to sign this certificate on behalf of the Contractor named below:

Signed.....

Position held.....

Name and Address of Contractor.....

For and on behalf of.....

Date

NOTE : For the purpose of this declaration the United Kingdom includes the Channel Islands and the Isle of Man.

ANNEXURE V

Form of Utilisation Report in Respect of UK/India Capital Investment Loan 1971

(NSIC SEGMENT OF £ 1 MILLION)

(To be furnished separately in respect of each Licence).

1. Name of the Importing Firm.
2. Particulars of UK Credit.
3. No. & Date of the Import Licence.
4. Value of the Import Licence.
5. Value of the complete contracting documents forwarded so far to the Ministry of Finance [please give details of Contract Nos. & Value).
6. Value of the Contracts approved by the U.K. Government as notified by the High Commission of India.
7. Payments made to the U.K. Suppliers (Up-to-date).
8. Payments yet to be made in respect of the contracts already approved.
9. Value of further orders intended to be placed on U.K. Suppliers.
10. Surrenders, if any.

Signature of the authorised
Officer of the Importing Firm.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1971

विषय :—यू०के०/भारत पूंजी निवेश ऋण 1971 के अन्तर्गत एन०एस०आई०सी० के लिए 10 लाख पौंड नियतन के अन्तर्गत जारी किए गए लाइसेंसों के लिए लागू होने वाली लाइसेंस शर्तें ।

सं० 100-आई० टी० सी० (पी० एन०)/71 .—यू०के०/भारत पूंजी निवेश ऋण 1971 के अन्तर्गत एन०एस०आई०सी० के लिए 10 लाख पौंड नियतन के मद्दे आयात लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में लागू होने वाले नियम और शर्तें जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, व्यवसायी की सूचना के लिए अधिसूचित की जाती हैं ।

परिशिष्ट

यू०के०/भारत पूंजी निवेश ऋण 1971 के अन्तर्गत एन०एस०आई०सी० के लिए 10 लाख पौंड नियतन के अन्तर्गत लाइसेंस जारी करने सम्बन्धी लागू होने वाली शर्तों की अनुसूची ।

खंड 1—सामान्य शर्त

पूर्ण लाइसेंस कोड के अतिरिक्त प्रत्येक लाइसेंस संख्या में प्रत्यय "एन०एस०आई०सी० 71" होगा । पूर्ण लाइसेंस कोड, बीजक, लदान बिल और प्रवेश बिल में उल्लिखित किया जाएगा ।

2. यू०के० बैंक प्रभारों के अतिरिक्त जो सामान्य बैंकिंग सूत्रों के माध्यम से प्रेषण किए जा सकते हैं, किसी भी विदेशी मुद्रा का प्रेषण आयात लाइसेंस के लिए स्वीकार नहीं होगा । भारत स्थित अभिकर्ताओं का भारतीय अभिकर्ता कमीशन सम्बन्धी भुगतान भारतीय मुद्रा में होना चाहिए । लेकिन, इस प्रकार के भुगतान, लाइसेंस मूल्य के अंश होंगे और ये इसलिए, लाइसेंस के लिए लिये जाएंगे ।

3. लाइसेंस 12 महीने की प्रारम्भिक वैध अवधि के लिए जारी किए जाएंगे । फर्म आदेश लागत बीमा भाड़ा या लागत भाड़ा के आधार पर आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख के चार महीने के भीतर अवश्य दे दिया जाना चाहिए । यदि आदेश वैध कारणों से चार महीनों के भीतर नहीं दिए जा सकते तो, लाइसेंस को लाइसेंस देने वाले अधिकारी के पास पांचवें महीने के दौरान जमा कर देना चाहिए । इस कारण का उल्लेख कर देना चाहिए कि आदेश देने में देरी क्यों हुई और यह संकेत कर देना चाहिए कि अगला आदेश किस तारीख तक दिया जा सकता है और आदेश देने के लिए जैसी अवधि वृद्धि जरूरी हो इसे भी बता देना चाहिए । जहां जरूरत होगी, इस प्रकार के आवेदन पत्रों पर मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वारा वित्त मंत्रालय (अर्थ कार्य विभाग) के साथ परामर्श कर पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा । (इसे ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक आदेश देने का काम 4 मास की अवधि या लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किसी मामले में बढ़ाई गई स्वीकृत अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जाता है, तब तक विदेशी मुद्रा देने के प्राधिकृत व्यापारी साख-पत्र की स्थापना करने या समतुल्य रुपये को जमा करने के लिए अनुमति नहीं देंगे) ।

4. लाइसेंस अवधि की समाप्ति के एक माह के भीतर सभी भुगतान पूरे कर दिए जाने चाहिए किन्तु यू०के० संभरकों के लिए लदान और भुगतान हर हालत में 28 फरवरी, 1975 तक पूरे कर दिए जाने चाहिए । माल का लदान करने पर व्यक्तिगत भुगतानों की व्यवस्था अवश्य कर दी जानी चाहिए । किसी भी प्रकार की माफ सुविधा की स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।

खंड 2—आदेशों/संविदाओं या अन्यथा रूप में सम्मिलित की जाने वाली विशेष बातों को ध्यान में रखना ।

1. जब फर्म आदेश/संविदा दी जा रही हो जो कि **केवल यू० के० संभरकों को दी जानी चाहिए** (जिसकी अभिव्यक्ति में चैनल आइलैंड तथा आइल आफ मैन शामिल है (लाइसेंसधारी को उसी में दी गई एक व्यवस्था द्वारा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि खरीदे गए माल पूर्णतया या प्रधानतया यू०के० में उत्पादित अथवा निर्मित है, या होंगे, या रसायनों तथा सम्बद्ध उत्पादों के मामले में अनुबन्ध- 2 बी के रूप में संलग्न प्रपत्र पर यू०के० मूल के होने का विधिवत् घोषणा कर दी गई है । जब इस प्रकार के माल खरीदने से संम्बन्धित सेवाओं की भी व्यवस्था की जाती है, तो उसमें निहित उपयुक्त व्यवस्था द्वारा इसी प्रकार यह भी सुनिश्चित कर देना चाहिए कि ऐसे काम तथा सेवाएं साधारणतया यू०के० निवासी अथवा जो वहां व्यापार कर रहा है उस के द्वारा प्रदान की जाती है अथवा की जाएंगी । (इसे ध्यान में रखना चाहिए कि संभरक/संविदाकर्ता को नीचे के खंड—3 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार एक संविदा प्रमाण-पत्र में संभरित की जाने वाली किसी प्रकार के माल के सम्बन्ध में जो गैर यू०के० की है इसका संकेत करते हुए या रासायनिक और सम्बद्ध उत्पादों के मामले में यह घोषणा करते हुए कि वे यू०के० मूल की हैं उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे) यदि गैर यू०के० माल की संविदा के जहाज पर निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है तो, इसकी सूचना अर्थ कार्य विभाग, सहायता लेखा नियंत्रक, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को दे देनी चाहिए, और विशेष करके उन मामलों में जिनमें संविदायें 25,000 पौंड मूल्य की हैं और इनके लिए यू०के० सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं हो, और फर्म वचनबद्धताओं को केवल तभी प्रविष्ट किया जाना चाहिए जब कि अर्थ कार्य विभाग सहमत हो जाते हैं ।

2. उन संविदाओं के मामले में जिनका मूल्य 25,000 पौंड से अधिक हो, तो संविदा में इस सम्बन्ध में एक वाक्यांश अलग से यह जोड़ देना चाहिए कि संविदा इसके अधीन है और यह केवल यू०के० सरकार के अनुमोदन पर ही प्रभावी होगी ।

3. नीचे के खंड 3 और 5 में बताई गई प्रलेखन आवश्यकताओं और उन्हें संविदा में उचित रूप से शामिल कर देना चाहिए ।

खंड 3—संविदा स्वीकृत, संविदाओं की सूचना तथा तत्सम्बन्धित संशोधन

क—ऐसे मामले जहां संविदा के लिए धन—राशि 25,000 पौंड से अधिक हो ।

(1) आदेश देने के 15 दिनों के भीतर लाइसेंसधारी को चाहिए कि संविदा अथवा संविदा, अधिसूचना की चार प्रतियां (संलग्न अनुबन्ध 1 के रूप में संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा प्रमाण-पत्र (संलग्न अनुबन्ध 2 अथवा 2 बी के रूप में, जो भी उपयुक्त हो) को 5 प्रतियों के साथ सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजें ।

विशेष ध्यान दीजिए : **चूंकि भुगतान जब तक नहीं हो सकता जब तक कि यू०के० सरकार द्वारा विधिवत्अनुमोदन नहीं प्राप्त हो जाता है, इसलिए लाइसेंसधारी के लिए यह अच्छी तरह जान लेना की आवश्यकता है कि संविदा/संविदा अधिसूचना की प्रतियां संभरक की संविदा के प्रमाण-पत्र के साथ वित्त मंत्रालय की प्रारम्भ में ऊपर बताए के अनुसार भेज दी जाती हैं)**

(2) वित्त मंत्रालय को उपर्युक्त प्रलेखों को भेजते समय लाइसेंसधारी द्वारा यह सुनिश्चय कर देना चाहिए कि दस्तावेजों में आयात लाइसेंस लाइसेंस की संख्या और तारीख तथा यू०के० ऋण का नाम भली-भांति लिख दिया गया है।

(3) वित्त मंत्रालय मुख्य लेखाधिकारी, लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग के माध्यम से यू०के० ऋण द्वारा की जा रही संविदा के अन्तर्गत भुगतान के लिए यू०के०सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उनको प्रलेखों के एक से फाइल करने के लिए व्यवस्था करेगा। यू०के० सरकार द्वारा संविदा की स्वीकृति या अस्वीकृति की प्राप्ति के बाद यथाशीघ्र इसकी सूचना मुख्य लेखाधिकारी, लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा वित्त मंत्रालय को परामर्श देते हुए यू०के० संभरकों और साथ ही लाइसेंसधारी को दे दी जाएगी।

(4) यदि किसी समय संविदा (उस संविदा के सम्बन्ध में जिसमें यू०के० सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है या प्राप्त करनी है) में संशोधन किया जाना है, या संविदा प्रमाण-पत्र में उल्लिखित धन-राशि से ज्यादा धन-राशि के लिए उसके अन्तर्गत यदि कोई जिम्मेदारी निहित की जाती है, तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह तत्तम्बन्धी अनुपूरक या संशोधित प्रलेखों संविदा के लिए संशोधित प्रतियों को तथा संशोधित संविदा प्रमाण पत्रों को वित्त मंत्रालय को तत्काल भेज दे ताकि वे इसकी सूचना यू०के० सरकार को दे सकें जिससे वे उनकी स्वीकृति प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। संविदा/आदेश के लिए जैसे ही संशोधन के लिए यू०के० सरकार से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है, तो लाइसेंसधारी और वित्त मंत्रालय को लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा ठीक उस विधि से जैसे मूल संविदा के लिए है, सूचित कर दिया जाएगा।

(5) यदि, किसी मामले में, विदेशी संभरक के भारतीय अभिकर्ता के साथ संविदा की जानी है, तो उस यू०के० संभरक के नाम का संकेत इसमें होना चाहिए जिसको संविदा के उस स्टर्लिंग अंश के लिए भुगतान किया जाना है जो केवल इस ऋण के अन्तर्गत भुगतान के योग्य होगा। ऊपर निर्धारित किए गए के अनुसार इस प्रकार की प्रतियों को (या उन संविदाओं की प्रतियां जो यू०के० संभरकों के साथ भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा की गई हैं, यदि इस प्रकार की पृथक संविदायें हों) भेज दिया जाना चाहिए।

(ख) उन मामलों में जिनमें संविदाएं 25,000 पौंड मूल्य तक की हैं :—

इस प्रकार की संविदाओं के लिए यू०के० सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। आदेश देने के 15 दिनों के भीतर लाइसेंसधारी को चाहिए कि संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविदा प्रमाण-पत्र (अनुबन्ध 2 या अनुबन्ध 2बी में निर्धारित किए गए के अनुसार जो संलग्न है उस रूप में) की 5 प्रतियों के साथ संविदा की या संविदा अधिसूचना (अनुबन्ध 1) की चार प्रतियां सहायता लेखा नियंत्रक, अर्थ कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेज देना चाहिए।

खंड 4—यू० के० संभरकों के लिए भुगतान—साख-पत्र प्रक्रिया

(1) (क) **जहां पर संविदा का मूल्य 25,000 पौंड** (और इसलिए संविदा के सम्बन्ध में यू०के० सरकार के अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होती) तक होता है तो लाइसेंस धारी को चाहिए कि वह यू०के० के संभरकों के नाम में यू०के० से सम्बद्ध बैंकों में से किसी भी एक बैंक में भारत में किसी मुद्रा विनिमय करने वाले बैंक में साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकरण-पत्र हेतु (अनुबन्ध के प्रपत्र में आवेदन किया जाना) सहायता लेखा, नियंत्रक, आर्थिक सहायता लेखा शाखा अर्थ, कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को आवेदन करना चाहिए।

(ख) **जहां पर संविदा का मूल्य 25,000 पौंड** से अधिक होता है, तो लाइसेंसधारी को उपर्युक्त विधि के अनुसार प्राधिकरण - पत्र के लिए वित्त मंत्रालय (अर्थ कार्य विभाग) आर्थिक सहायता लेखा शाखा को सिफारिश करनी चाहिए और वह केवल तब जब कि लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा यू० के० सरकार द्वारा संविदा के लिए दी गई स्वीकृती से अवगत करा दिया गया हो।

(2) अगर आवेदन पत्र सही पाया जाता है, तो वित्त मंत्रालय अर्थ कार्य विभाग आयातक और स्टेट बैंक आफ इण्डिया की नामित शाखा को अपेक्षित धन राशि के लिए प्राधिकरण जारी करेगा। वित्त मंत्रालय संबंधित यू० के० शाखा और मुख्य लेखाधिकारी भारत का उच्चायोग, लन्दन को भी उपयुक्त परामर्श देगा। लेकिन, यू० के० शाखा के लिए परामर्श, उनके प्राधिकरण पत्र के प्रति के साथ स्टेट बैंक आफ इन्डिया को नामित शाखा को भेज दिया जाएगा, और उन्हें चाहिए कि वे साख पत्र खोलते समय इसे यू० के० बैंक को प्रेषित कर दें।

(3) प्राधिकरण (वित्त मंत्रालय को अवगत कराते हुए) के जारी होने की तारीख से एक मास के भीतर साख पत्र खोल दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने की स्थिति में प्राधिकरण समाप्त हो जाएगा। साख पत्र में उन शर्तों का उल्लेख होना चाहिए जिसके लिए लाइसेंस दिया गया है, नीचे के खंड 5 में उल्लिखित सभी प्रलेखों के प्रस्तुतिकरण के बाद संभरकों को भुगतान के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, भुगतान के बाद प्रलेखों के प्रेषण करने से संम्बधित अनुदेशों को पूरी तरह समाविष्ट करना चाहिए, और इसे इस शर्त के अधीन खोला जाना चाहिए, कि यू० के० में सम्बद्ध बैंक लाभ प्राप्त कर्त्ताओं को प्रारम्भिक रूप में उनकी अपनी निधि से भुगतान करने के बाद उसकी प्रतिपूर्ति मुख्य लेखाधिकारी, भारत का उच्चायोग, लन्दन के माध्यम से स्टेट बैंक आफ इंडिया लन्दन से प्राप्त करेगा। साख पत्र खोलने से सम्बंधित स्टेट बैंक आफ इण्डिया की नामित शाखा के अनुदेश वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण के पूर्णतया अनुरूप अवश्य होने चाहिए। किसी भी हालत में इसमें असंगठित नहीं होनी चाहिए।

(4) साख पत्र में स्पष्ट रूप से पहचान चिन्ह "यू० के० / भारत पूंजी निवेश ऋण 1971 के अन्तर्गत एन० एस० आई० सी० के लिए 10 लाख पौंड नियतन और उसमें" प्रत्यय "एन एस आई सी (71)" के साथ लाइसेंस संख्या भी शामिल होनी चाहिए।

खंड 5—प्रलेखन

(1) यह देखने की जिम्मेदारी आयातक की है कि यू० के० संभरक भेजे गए माल के लिए भुगतान की मांग करते समय यू०के० बैंक के लिए नीचे उल्लिखित प्रलेखों को पूरा करता है और प्रस्तुत करता

1. चार फोटो प्रतियां या अन्य किसी विधि से तैयार की गई प्रतियों के साथ मूल बीजक (बीजक में आयातक का नाम और पता : संभरित की गई प्रत्येक मद की मात्रा और विस्तृत विवरण सभी व्यापार छूटों को प्रतिबिम्बित करते हुए प्रत्येक मद के लिए विक्रय कीमत ; वितरण का आधार (लागत भाड़ा या लागत बीमा भाड़ा और किसी प्रकार की आनुषंगिक सेवाएं जिसमें वितरण या समुद्री या परिवहन बीमा सेवाएं शामिल हैं उसकी स्टर्लिंग लागत को दिखाना चाहिए) ।

2. महासागर या चार्टर-पार्टी लदान-पत्र की एक प्रति (या फोटोस्टेट) या वायुमार्ग बिल या डाक पारसल रसीद । (लदान पत्र वाहक के खर्चों का विवरण निर्दिष्ट करेगा चाहे इन खर्चों का भुगतान किसी मुद्रा में किया गया हो) ।

3. अनुबन्ध 4 में दिए गए प्रपत्र में भुगतान प्रमाण पत्र की चार प्रतियां (ऐसी संविदाओं के संबंध में इनकी आवश्यकता नहीं जिन के लिए अनुबन्ध - 2 (बी) में दिए गए प्रपत्र में एक संविदा प्रमाण-पत्र (रासायनिक) की पूर्ति की गई है । इस उद्देश्य के लिए, संभरक द्वारा भुगतान प्राप्त करते समय पूर्ण करने के लिए, निर्धारित प्रपत्र में भुगतान प्रमाण-पत्र के पांच खाली प्रपत्र साखपत्र के साथ संलग्न करने चाहिए ।

प्रत्येक दस्तावेज में, ऋण संख्या, आयात लाइसेंस का विस्तृत ब्योरा और यदि संभव हो, तो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए साखपत्र प्राधिकरण के विवरण का प्रदर्शन अवश्य होना चाहिए ।

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि यू० के० संभरकों द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजीकरण की आवश्यकताएं नोट करली गई हैं और उनका अनुपालन किया गया है, भारत में प्राधिकृत मुद्रा विनिमय बैंक, साखपत्र खोलते समय आयातक की ओर से साखपत्र में आवश्यक शर्तें समाविष्ट करने का ध्यान रखेगा ।

(3) यू० के० संभरक को भुगतान हो जाने के बाद, यू० के० में व्यवसायी बैंक दस्तावेजों के मूल विनिमय सट को हवाई डाक द्वारा सम्बद्ध स्टेट बैंक आफ इंडिया की नामित शाखा को भेजेगा (भारतीय बैंक यू० के० सरकार को बैंक प्रभार प्रेषित करेगा और उसकी अदायगी आयातक से करेगा) इसके साथ ही साथ यू० के० बैंक मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय उच्चायोग लन्दन से अपने द्वारा संभरकों को चुकाई गई धनराशि की प्रतिपूर्ति का दावा करेगा और इस उद्देश्य के लिए संभरकों से प्राप्त बीजकों को तथा जहां आवश्यक हो, अनुबद्ध - 4 के अनुसार भुगतान प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करेगा । मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, लन्दन के माध्यम से यू० के० बैंक को भुगतानों की व्यवस्था करेगा ।

खंड 6—रुपया निक्षेप के लिए भारतीय बैंक के उत्तरदायित्व

(1) यू० के० सम्बद्ध बैंक से प्राप्त जहाज लदान प्रलेखों के साथ भुगतान के परामर्श की पावती के 7 दिनों के भीतर भारतीय सम्बद्ध स्टेट बैंक आफ इंडिया की नामित शाखा, आयातक से 18 रुपये 18 पैसे प्रति पौंड (नीचे की कंडिका (4) देखिए) की दर से आयात लागत के लिए रुपये में वसूल करेगा और ऊपर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से सूद भी वसूल करेगा जो यू० के० बैंक द्वारा यू० के० संभरकों को दिए गए भुगतान की तारीख से लेकर निक्षेप किए गए समतुल्य रुपये की तारीख तक के लिए होगा ।

(2) उपर उल्लिखित धनराशि सम्बद्ध स्टेट बैंक आफ इंडिया नामित शाखा द्वारा रिजर्व बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया दिल्ली में भारत सरकार के खाते में निक्षेप किया जाना चाहिए या यदि यह संभव नही हो तो स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी शाखा, दिल्ली के नाम में निकालने के लिए दर्शनी हुंडी साधनों द्वारा प्रेषण किया जाना चाहिए। इसके बाद बीजक / पोत लदान प्रलेखो तथा उस विभाग का वह प्राधिकरण जो सौदे मे संबंधित है उनके संदर्भों का उल्लेख कर तथा उनकी प्रतियां संलग्न कर निक्षेप करने का साक्ष्यांकित करते हुए राज-कोष चालान रजिस्ट्री डाक द्वारा सहायता लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, अर्थ कार्य विभाग, आर्थिक सहायता लेखा शाखा, जीवन दीप बिल्डिंग, 10, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेज दिया जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा मांग किए जाने पर सम्बद्ध स्टेट बैंक आफ इंडिया की नामित शाखा सेवाओं से सम्बन्धित अतिरिक्त खर्चों की ऐसी राशि को भी जो सरकार द्वारा मांगी जाए, मांग करने के सात दिनों के भीतर जमा करने की व्यवस्था उसी तरीके से करेगा। लाइसेंसधारी को भी यह चाहिए कि सार्वजनिक सूचना संख्या 18-1 आई टी सी (पी एन)/ 68, दिनांक 30-8-68 के अनुबन्ध - 2 में शामिल किए, गए ऐसे प्रपत्र की दो प्रतियों को भरे, और उसे उक्त सार्वजनिक सूचना में निहित प्रक्रिया के अनुसार, रुपया जमा करने के लिए व्यवस्था करते समय अपने बैंक को प्रस्तुत करे।

(3) सूद प्रभार को शामिल करते हुए वह राशि जो भारत सरकार के खाते में जमा की जानी है वह इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराई जाएगी "सेक्शन टी —डिपोजिट एण्ड एडवान्सेज पार्ट 2 डिपोजिट — डिपोजिट नाट बियरिंग इन्टरेस्ट—(सी) अदर डिपोजिट एकाउन्टस — सिविल डिपोजिटस —डिपोजिटस् फार परचेजिस एब्राड फ्रोम यू के—परचेजेज अन्डर यू० के० लोन— परचेज अन्डर दी यू०के० /इंडिया कैपिटल इन्वैस्टमेंट लोन, 1971 एन एस आई सी सेगमेंट आफ वन मिलियन" और महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली को लेखाधिकारी के रूप में दिखाया जाएगा जो इन खातों को समायोजित करेगा।

(4) उपर्युक्त मुद्रा दर अर्थात् 1 पौंड बराबर 18.18 रुपये पूर्व प्रचलित 'मिली-जुली' मुद्रा दर है और इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन होने के स्थिति में भारत सरकार द्वारा जब और जैसा निश्चित किया जाएगा, उसे अधिसूचित कर दिया जाएगा।

खंड 7—आयात लाइसेंस के प्रयोग किए जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट

अनुबन्ध - 5 में सम्बद्ध प्रपत्र के रूप में लाइसेंस के उपयोग किए जाने की स्थिति को प्रदर्शित करत हुए एक मासिक रिपोर्ट प्रत्येक मास की 15 तारीख तक वित्तमंत्रालय अर्थ कार्य विभाग, आर्थिक सहायता लेखा शाखा, नई दिल्ली को (तथा औद्योगिक विकास और विभाग) विदेशी मुद्रा विनिमय साख अनुभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली को भी भेजनी चाहिए।

खंड 8—विविध अनदेश

य० के० संभरकों से धन वापसी.—लाइसेंसधारी द्वारा यदि किसी प्रकार की राशि य० के० संभरक अथवा गारन्टीकर्ता (बीमा कम्पनी आदि) से वापसी के रूप में या बीमा दावे की व्यवस्था के रूप में अथवा अन्यथा रूप से प्राप्त की जाती है, तो ऐसी राशि संभरक द्वारा यू० के० मे संबंधित बैंक को जिसके द्वारा प्रारम्भ में संभरक को भुगतान किया गया था) इन अनुदेशों के साथ वापिस की जानी चाहिए कि वे इस राशि को शीघ्र

ही सी० ए० ओ० भारत के उपयोग [illegible] को ऋण लेखे में जमा करने के लिए वापिस करें। इस प्रकार ऋण लेखा में जमा करने के पश्चात्, आयातक को रुपये में समतुल्य राशि वापिस करने की व्यवस्था आयातक द्वारा बांधे की एजेंसी द्वारा करनी [illegible] वित्त मंत्रालय द्वारा की जाएगी । यदि ऋण के समाप्त होने के पश्चात् कोई जानकारी प्राप्त होती [illegible] उसे संभरक द्वारा आयातक को सीधे ही अदा कर दिया जाएगा ।

जब कभी इस प्रकार की वापसी प्राप्त होती है तो उसकी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को भी भेजी जानी चाहिए और उसकी एक प्रति औद्योगिक विकास [illegible] आन्तरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) विदेशी मुद्रा अनुभाग, उद्योग भवन, [illegible] दिल्ली को भेजी जानी चाहिए ।

(2) **विशेष शर्तों के अधिरोपित किए जाने वाले संभरक** :—यदि आयात लाइसेंस में ऐसी कोई विशेष शर्तें हों जो कि संभरक [illegible] करार का पालन करने प्रभाव डालें, तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि संभरक को इस से अवगत [illegible] दें ।

(3) **विवाद**:—यह जान लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो भारत सरकार किसी प्रकार का उत्तरदायित्व [illegible] लेगी ।

(4) **भविष्य के लिए अनुदेश**.—आयात ला[illegible] इससे संबंधित किसी एक या सभी मामलों पर तथा ऋण करार के अन्तर्गत सभी प्रका[illegible] शर्तों को पूरा करने के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों, अनु- देशों या आदेशों [illegible] का पालन करेगा ।

(5) **उल्लंघन या अतिक्रमण**:—उपर्युक्त [illegible] में दी गई शर्तों के उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर आयातनियंत्रण (नियंत्रण) अधिनियम [illegible] प्रयोग उचित कार्यवाही की जाएगी ।

खण्ड 9—शर्तों के अनुसार अनुबंध [illegible] **के पत्र**:—

अनुबंध 1	संविदा की अधिसूचना ।
अनुबंध 2	संविदा प्रमाण पत्र ।
अनुबंध 2 (बी)	संविदा प्रमाण पत्र (रसायनि[illegible]
अनुबन्ध 3	साख पत्र प्राधिकरण पत्र के [illegible] [illegible] पत्र का प्रारूप ।
अनुबन्ध 4	भुगतान प्रमाण पत्र ।
अनुबन्ध 5	आयात लाइसेंस के लिए अ[illegible] या उसका उपयोग किए जाने के सम्बन्ध में मासिक रिपोर्ट

अनुबंध 1

संविदा की अधिसूचना

यू० के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1971

(10 लाख पौंड का एन० एस० आई० सी० सिम्बैंट)

सेवा में,

यू० क० सरकार

संविदा की अधिसूचना सं० यह प्रस्तावित किया जाता है कि उपर्युक्त ऋण की शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाएगा

1. यू० के० संविदाकर्ता का नाम और पता
2. संविदा का दिनांक
3. भारतीय खरीदार का नाम
4. माल का संक्षिप्त ब्यौरा तथा/ अथवा कार्य अथवा सेवाएं ।
5. संविदा का मूल्य
6. भुगतान की शर्तें

आयातक की ओर से हस्ताक्षरित

दिनांक———————

अनुबन्ध 2

एफसीआरो (ओडीए) स्वीकृति सं०

यू०के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1971

(10 लाख पौंड का एन० एस० आई० सी० सिम्बैंट)

संविदा प्रमाण-पत्र

संविदा का ब्यौरा

1. संविदा की तिथि———————2. संविदा सं०———————

3. खरीदार को दिए जाने वाले माल अथवा सेवाओं का विवरण

(यदि कई मदों की पूर्ति की जानी है, तो इस प्रमाण-पत्र के साथ उसकी एक विस्तृत सूची लगा देनी चाहिए ।)

4. क्रेता द्वारा देय कुल संविदा मूल्य (लागत-बीमा-भाड़ा, लागत तथा भाड़ा या जहाज पर निःशुल्क का उल्लेख कीजिए)

पौंड———————

यदि माल का संभरण किया जाना है, तो निम्नलिखित खंडो को पूरा करना अनिवार्य है । (यदि संविदाकर्ता केवल निर्यातक अभिकर्ता है, तो मांगी गई सूचना निर्माणकर्ता से प्राप्त करनी चाहिए)।

5. जो माल यू० के० मूल का नहीं है, परन्तु संविदाकार द्वारा सीधे बाहर से खरीदा गया है, तो जहाज पर नि.शुल्क मूल्य का अनुमानित प्रतिशत, जैसे आयातित कच्चे माल या निर्माण में उपयोग किए गए संघटकों का प्रतिशत

(क) प्रतिशत जहाज पर नि शुल्क मूल्य———————————————————

(ख) मदों का विवरण तथा संक्षिप्त विशिष्टिकरण ———————————————

6. यदि विदेश मूल के किसी कच्चे माल या संघटकों का उपयोग किया गया हो, जैसे ताम्बा, अदरक, कपास, लकड़ी लुगदी आदि, परन्तु संविदाकर्त्ता द्वारा इस संविदा के लिए इन की खरीद यू० के० में की गई है तो इनका उल्लेख करें :—

(क) प्रतिशत जहाज पर निशुल्क मूल्य ———————————————————

(ख) मदों का विवरण और संक्षिप्त विशिष्टिकरण———————————————
यदि सेवाएं प्रदान की जानी है, तो निम्नलिखित खंडों की पूर्ति की जानी चाहिए ।

7. नीचे लिखे द्वारा किए गए किसी काम या खरीदार के देश में निष्पादित सेवाओं का अनुमानित मल्य बताएं :—

(क) आय को फर्म (स्थल, अभिपन्ता खर्च आदि)———————————————

(ख) स्थानीय संविदाकर्ता ———————————————————————

8 उपर्युक्त कंडिका 5, 6, या 7 के सम्बन्ध में जैसा आवश्यक हो, अर्हक टिप्पणी———————

9. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि नीचे लिखे संविदाकर्त्ता द्वारा मैं यू० के० में नियोजित किया गया हूं और इस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार मुझे प्राप्त हैं । मैं एतद्द्वारा यह जिम्मेदारी लेता हूं कि उपर्युक्त कडिका 5, 6, 7 तथा 8 में विशिष्टिकृत को छोड़कर किसी और ... सेवाओं का जो यू० के० मूल के नहीं हैं, संविदा के निष्पादन में संभरण नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षरित——— ———————————

पद जिस पर वह है———————————

संविदाकर्त्ता का नाम और पता———————————
———————————

दिनांक ———————————

टिप्पणी : इस घोषणा के लिए यू० के० दि चैनल आइलैण्ड और आइल्ज आफ मैन को शामिल करता है ।

संविदाकर्त्ताओं को नोट कर लेना चाहिए कि माल का निर्माण तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक उसकी स्वीकृति को अधिसूचित नहीं कर दिया गया है । (25,000 पौंड मूल्य से कम की संविदाओं के लिए लागू नहीं है ।)

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए परियोजना का नाम अथवा संख्या				भुगतान			
बकाया प्रविष्टि की राशि	तारीख	स्वीकृति दिनांक	आद्याक्षर	दिनांक	राशि	पी०ए० संख्या	आद्याक्षर

अनुबंध 2 (बी)

यू०के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1971

(10 लाख पौंड का एन०एस०आई०सी० सिग्मेंट)

केवल रासायनिक तथा सम्बद्ध उत्पादों के लिए संविदा प्रमाण-पत्र

1. संविदा की तिथि————संविदा सं०————आयात लाइसेंस सं०——दिनांक——

2. खरीदार को संभरण किये जाने वाले उत्पाद (लों) का विवरण (टिप्पणी ए)	पौंड मूल्य	यू०के० दर-सूची वर्गीकरण सं०	क्या उत्पाद यू०के० मूल का है (टिप्पणी सी देखिए) हां या नहीं लिखिए

(टिप्पणी बी)

3. खरीदार द्वारा भुगतान की जाने योग्य कुल/अनुमानित/संविदा कीमत स्टरलिंग में————पौंड

4 (घोषणा) मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि नीचे लिखे संविदाकर्ता द्वारा मैं यू०के० में नियोजन पर गया हूं और इस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकार मुझे प्राप्त है और उपर्युक्त सत्य है ।

हस्ताक्षरित ————————

पद जिस पर है ————————

संविदाकर्ता का नाम और पता————

————————

दि० सं०————

टिप्पणी

ए. इस प्रपत्र का प्रयोग केवल रसायन तथा सम्बन्धित उत्पादो के लिए किया जाना है जिन में अधिकतर को यू०के० कर सूची के अध्याय 1 ,25,28 35 तथा 37–40 के उपयुक्त उप-शीर्षको द्वारा सम्मिलित किया गया है ।

बी० देखिए

(1) एच एम कस्टम तथा एक्साइज टैरिफ एच०एम०एस०ओ०

(2) ट्यूल नामावली ए०एम०एस०ओ० मे रसायनो का वर्गीकरण

सी (1) यदि उत्पाद पूर्णतया यू० के० देशो से माल तैयार किया गया है तो वह उत्पाद यू० के० मूल का समझा जाता है अथवा उपयुक्त 'ई एफ टी ए' विशेषक विधि के अनुसार पूर्णतया अथवा अशंत आयातित माल प्रयोग किया जाता है ।

(2) एच एस एम ओ निर्यातकों के प्रयोग के लिए ई एफ टी ए विशेषक विधि ई एफ टी ए सार संग्रह के सूचक एक में बताई गई है ।

(3) प्रस्तुत घोषणा के लिए इस पर बल दिया जाना है कि विकल्पी प्रतिशत निकष लागू नहीं होता है ।

(4) उपर्युक्त सूचक में जहां कही शब्द 'क्षेत्र मूल' आते हैं उनका तात्पर्य केवल यू० के० मूल से है ।

(5) प्रस्तुत घोषणा के लिए 'मूल माल की सूची' (ई एफ टी ए सार संग्रह का सूचक (3) लागू नहीं होता है ।

(6) यदि विषयाधीन माल के लिए विशेषक विधि सूचीबद्ध नही है तो यू० के० सरकार से सलाह ले लेनी चाहिए ।

डी इस घोषणा के लिए यू० के० चैनल आइलेन्ड तथा आईस आफ मैन को शामिल करना है ।

अनुबन्ध 3

(साख-पत्र प्राधिकरण के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप)

सेवा में,
वरिष्ठ लेखाधिकारी,
अर्थकार्य सहायता लेखा शाखा ।
वित्त मंत्रालय,
जीवन दीप बिल्डिंग,
पार्लियामेट स्ट्रीट,
नई दिल्ली ।

विषय :—यू० के० / भारत पूंजी निवेष ऋण 1971 (10 लाख पौंड का एन० एस० आई० सं० सिगमेंट) के अन्तर्गत यू० के० से ——————————का आयात ।

महोदय,

उपर्युक्त ऋण के लिए यू० के० से ——————का आयात करने के सम्बन्ध में हम निम्नलिखित विवरण भेजते हैं, जिससे आप हमे हमारे बैंकरों के माध्यम से आपके द्वारा मनोनीत यू० के० बैंक

में साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकरण जारी करने में समर्थ हो सके :—

(क) आयात लाइसेंस का विवरण मूल्य (रूपयों में)————————तिथि जब तक वैध है ।

संख्या और तारीख

(ख) लाइसेंस का स्टर्लिंग मूल्य (प्रति पौंड 18 रुपये की दर से पर)

(ग) यू०के०संभरक/संभरकों का नाम और पता बताते हुए दिए गए आदेश का स्टर्लिंग मूल्य जिसके लिए प्राधिकरण की जरूरत है और प्रत्येक संभरक के लिए (दिए गए आदेश और उसके लिए यू०के०संभरक की स्वीकृति की प्रति संलग्न की जानी है) अलग अलग अपेक्षित प्राधिकरण की धनराशि/राशियां ।

(घ) सम्बद्ध यू०के०बैंक का नाम जिसमें साख पत्र स्थापित किया जाना है ।

(ङ) उस भारतीय बैंक का नाम जिसमें बैंक गारन्टी दी है और जो साख पत्र खोलेगा ।

स्टेम्प एक्ट 1899 की धारा 31 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार कलक्टर द्वारा विधिवत न्याय निर्णीत बैंक गारन्टी जो ————————द्वारा प्रस्तुत की गई है, संलग्न है ।

भवदीय

लाइसेंस धारी के हस्ताक्षर तथा पूरा पता

अनुबन्ध 4

यू०के०/भारत पूंजी निवेश ऋण, 1971 (10 लाख पौंड का एन० एस० आई० सी० सिग्मेंट)

भुगतान प्रमाण पत्र

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हुं कि

1. नीचे सूचीबद्ध किए गए बीजक में उल्लिखित भुगतान, वह या उसकी प्रतियां इस भुगतान प्रमाण पत्र के साथ लगी हैं, बाकी हैं या नीचे लिखे गए संविदाकर्त्ता और————————————————भागीदार————————के बीच संविदा संख्या ————————————— तारीख ————————— के सम्बन्ध में बाकी पूरे किए जाने वाले हैं, और संविदा प्रमाण पत्र के अन्तर्गत अधिसूचित इस संविदा के विवरण के अनुसार जो तारीख ————————————को उक्त संविदाकर्त्ता के नाम पर हस्ताक्षरित है ।

संविदाकर्त्ता के बीजक की संख्या	तारीख	धनराशि पौंड	माल कार्य और/या सेवाओं का संक्षिप्त विवरण

2. कंडिका (1) में जो धन-राशियां विशिष्टकृत की गई वे संविदा प्रमाण-पत्र की कंडिका 5, 6 अथवा 7 में बताई गई के लिए किसी अतिरिक्त विदेशी वस्तु को शामिल नहीं करती हैं।

3. नीचे लिखे संविदाकर्त्ता के नाम पर इस प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने का मुझे अधिकार है।

हस्ताक्षरित

पद जिस पर वह है———————

———————के लिए और के नाम पर

संविदाकर्त्ता का नाम और पता ———————

———————

तारीख ———————

टिप्पणी :—इस घोषणा के लिए यू० ए० ई०, चनल आफ आइल्ज और आइल्ज आफ मैन को शामिल करता है।

अनुबंध 5

यू० के० भारत पूंजी निवेश क्रम, 1971

(10 लाख पौंड का एन० एस० आई० सी० सिम्मट)

(प्रत्येक लाइसेंस के सम्बंध में अलग से भेजा जाना है)

1. आयात करने वाली फर्म का नाम.

2. यू० के० सारण का विवरण.

3. आयात लाइसेंस की संख्या और तिथि

4. आयात लाइसेंस का मूल्य.

5. वित्त मंत्रालय को अब तक पूरी संविदा प्रलेखों का जो मूल्य भेजा गया है (कृपया संविदा की संख्याओं और मूल्य का ब्यौरा दीजिए।)

6. यू० के० सरकार द्वारा स्वीकृत संविदाओं का मूल्य जैसा कि भारत के उच्चायोग द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

7. यू० के० संभरक को किए गए भुगतान (अब तक)।

8. पहले से ही स्वीकृत हो चुकी संविदाओं के संबंध में अभी तक किए जाने वाले भुगतान।

9. यू०के० संभरकों को और आगे दिए जाने वाले आदेशों का मूल्य ।

10. अभ्यर्पण, यदि कोई हो ।

आयात करने वाली फर्म के प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर.

SUBJECT.—*Imports from U.S.A. and the newly eligible source countries under the U.S. AID Commodity Programme Assistance.*

No. 101-ITC(PN)/71.—Attention of the importers is invited to (1) Public Notice No. 94-ITC(PN)/69, dated the 12th June, 1969 governing import licences granted under AID Loan No. 386-H-196 (2) Public Notice No. 17-ITC(PN)/71, dated the 8th February, 1971 as amended by Public Notice No. 27-ITC(PN)/71, dated the 11th March, 1971, governing import licences granted under AID Loan No. 386-H-207, and Public Notice No. 181-ITC(PN)/69, dated the 14th November, 1969 governing imports under AID Loan No. 200.

2. One of the important conditions governing import licences under the U.S. AID Commodity Programme Assistance, as set out in the above mentioned Public Notices, is that the importers should submit a Notice to U.S. Business covering the proposed procurement in the prescribed form to the Department of Industrial Development (AID Section) for arranging publication in the AID-financed Export Opportunities Circular (also known as the AID Small Business Circular) and place orders only after giving consideration to offers received in response thereto until the bid closing date. If, for any reasons, such as the goods to be procured being proprietary to certain suppliers, the Notice to U.S. Business procedure cannot be complied with, the importers have to approach the Deptt. of Industrial Development and obtain a waiver thereof.

3. The question of eliminating the Notice to U.S. Business procedure has been under consideration for some time in consultation with AID Washington. It has now been decided to waive this procedure with immediate effect. Consequently importers holding AID licences need not hereafter submit a Notice to U.S. Business or apply for a waiver thereof. AID, Washington have instead published a list of Indian importers (arranged commodity-wise) under the AID Programme to facilitate interested suppliers in the U.S.A. and the newly eligible source countries to get in touch with Indian importers and submit offers. The list will be periodically revised and up dated by AID, Washington.

4. While importers under the AID Programme will now no longer have to comply with the requirement of Notice to U.S. Business, they should directly seek and obtain sufficient number of competitive offers from suppliers in the U.S.A. and the newly eligible source countries and place orders only after giving due consideration to these offers. Offers will be received in addition independently from interested suppliers on the basis of the list of Indian importers published by AID Washington. These offers must particularly be given due consideration. Complaints from suppliers that their offers were not given due consideration, if found justified will result in appropriate action against the importer concerned including insistance on compliance with the Notice to U.S. Business procedure for future imports under the AID Programme.

5. If offers are not called from several sources, the onus of establishing the reasonableness of this course of action will rest on the importers. Government reserve the right to call for details of the bids received and to examine the justification for placement of orders on the suppliers chosen.

6. The general waiver of the Notice to U.S. Business procedure announced in this Public Notice will apply to all private sector licensees and public sector agencies/undertakings granted licences for direct imports in the same manner as private sector units. Public sector agencies/undertakings importing against foreign exchange releases through the DGS&D, New Delhi and ISM, Washington will

continue to be governed by the formal competitive bid procedure. The State Trading Corporation of India Ltd., the Minerals & Metals Trading Corporation of India Ltd., the Hindustan Steel Ltd. and such other agencies of the Government, entrusted with effecting bulk imports as canalisation agencies, will also, as before, be governed by the formal competitive bid procedure.

7. Importers unable on their own to get in touch with likely U.S. suppliers may seek the assistance of the Commercial Offices in the various U.S. Consulates in the country. The U.S. Consulates in India maintain commercial libraries in New Delhi, Bombay, Madras and Calcutta. To locate possible suppliers in the newly eligible source countries, they may seek the assistance of the Indian Embassies concerned as well as that of the diplomatic Missions of these countries in India. If any importers are still unable to locate sources of supply, and prefer to invite bids by publishing the proposed procurement in the AID-financed Export Opportunities Circular it is open to them to submit a Notice to U.S. Business to the Ministry of Industrial Development (AID Section) as before for necessary action.

8. The general waiver of the Notice to U.S. Business procedure announced herein comes into effect immediately. However, wherever Notices to U.S. Business submitted by importers have been transmitted to AID, Washington for publication, quotations received in response to them must be given consideration as before.

9. The Public Notices mentioned in para 1 hereof may be deemed to have been modified suitably by this Public Notice.

10. Requests for clarifications in respect of the above announcement should be adddressed to the Ministry of Industrial Development (AID Section).

विषय :—संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण पण्य कार्यक्रम सहयोग के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका और नए पत्र उद्गम देशों से आयात ।

सं० 101 आई० टी० सी० (पी० एन०)/71.—आयातकों का ध्यान (1) सार्वजनिक सूचना संख्या 94—आई० टी० सी० (पी० एन०)/69, दिनांक 12 जून, 1969 जो ए० आई० डी० ऋण संख्या 386—एच०—196 के अन्तर्गत प्रदान किए गए आयात लाइसेंसों को शासित करती है, (2) सार्वजनिक सूचना संख्या 27—आई० टी० सी० (पी० एन०)/71, दिनांक 11 मार्च, 1971 द्वारा यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना संख्या 17—आई० टी० सी० (पी० एन०)/71, दिनांक 8 फरवरी, 1971 जो ए० आई० डी० ऋण संख्या 386-एच०—207 के अन्तर्गत जारी किए गए आयात लाइसेंसों को शासित करती है और सार्वजनिक सूचना संख्या 181—आई०टी०सी० (पी० एन०)/69, दिनांक 14—11—1969 जो ए०आई० डी० ऋण संख्या 200 के अन्तर्गत आयातों को शासित करती है, की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

2. संयुक्त राज्य ए० आई० डी० पण्य कार्यक्रम सहयोग के अन्तर्गत आयात लाइसेंसों को शासित करने वाली शर्तों में से एक शर्त जो उपर्युक्त उल्लिखित सार्वजनिक सूचना में दी गई है, यह है कि आयातकों को चाहिए कि प्रस्तावित अधिप्राप्ति को शामिल करते हुए यू० एस० व्यापार के लिए निर्धारित प्रपत्र में औद्योगिक विकास (ए० आई० डी० अनुभाग) को ए० आई० डी० अर्थयुक्त एक्सपोर्ट आपरचुनिटीज सरकुलर (जो ए० आई० र० स्माल व्युजिनेस सरकुलर के रूप में भी जाना जाता है) में प्रकाशन की व्यवस्था करने के लिए एक नोटिस प्रस्तुत करना चाहिए और जब तक बोली लगाने की तिथि नहीं समाप्त हो जाती, तो आदेश केवल उसके प्रत्युत्तर में प्राप्त प्रस्तावों के लिए विचार करने के बाद ही देने चाहिए । यदि किसी कारणवश, जैसे जिस माल की अधिप्राप्ति की जाने वाली है, वह किसी संभरक के स्वामित्व में है, यू० एस० व्यापार प्रक्रिया के साथ नोटिस का अनुपालन नहीं किया जा सकता और आयातकों को औद्योगिक विकास विभाग से सम्पर्क स्थापित करना है और उससे छूट प्राप्त करना है ।

3. यू० एस० व्यापार प्रक्रिया के लिए नोटिस को निस्तर करने के प्रश्न को कुछ समय के लिए ए० आई० डी०, वाशिंगटन से विमर्श कर विचाराधीन रखा गया है, अब यह निश्चय किया गया है कि इस प्रक्रिया को अतिशीघ्र खतम कर दिया जाए। उसके परिणामस्वरूप उन आयातकों को जिनके पास ए० आई० डी० लाइसेंस है, उन्हें इसके बाद यू० एस० व्यापार के लिए नोटिस प्रस्तुत करने या उसकी छूट के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है । ए० आई० डी०, वाशिंगटन ने इसके स्थान पर ए० आई० डी० कार्यक्रम के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका में दिलचस्पी रखने वाले सम्भरकों तथा नए पात्र उद्गम देशों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय आयातकों के सम्पर्क में रहने तथा प्रस्ताव भेजने के लिए भारतीय आयातकों (पण्यवार व्यवस्थित) की एक सूची प्रकाशित की है। ए० आई० डी० वाशिंगटन द्वारा सूची का आवधिक संशोधन किया जाएगा और उसको आयतन बनाया जाएगा ।

4. जब ए० आई० डी० कार्यक्रम के अन्तर्गत आयातकों को अब यू० एस० व्यापार के लिए नोटिस की अपेक्षाओं का अनुपालन बहुत दिनों तक नहीं करना है, तो उन्हें चाहिए कि संयुक्त राज्य अमरीका के तथा नए पात्र उद्गम देशों के सम्भरकों से प्रातियोगिक प्रस्तावों की पर्याप्त संख्याओं की तलाश करे और उसे प्राप्त करें तथा इन प्रस्तावों पर आवश्यक विचार करने के बाद ही आदेश दें। इसके अलावा प्रस्ताव स्वतन्त्र रूप से भी दिलचस्पी रखने वाले सम्भरकों से ए० आई० डी० द्वारा प्रकाशित की गई भारतीय आयातकों की सूची के आधार पर प्राप्त किए जाएंगे इन प्रस्तावों पर विशेष रूप से आवश्यक ध्यान दिया जाना चाहिए । सम्भरकों से यह शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उनके प्रस्तावों पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता । यदि इसे उचित पाया गया तो इसके परिणामस्वरूप सम्बद्ध आयातकों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ए० आई० डी०, कार्यक्रम के अन्तर्गत आयात के लिए यू० एस० व्यापार की नोटिस के अनुपालन करने पर भी जोर दिया जाएगा ।

5. यदि प्रस्ताव बहुत से उद्गमों से नहीं मांगे जाते तो इस विषय की कार्रवाई का औचित्य मुस्थापित करने की जिम्मेदारी आयातकों पर ही होगी । सरकार को यह अधिकार है कि वह प्राप्त की गई बोलियों के विवरण की मांग करे और सम्भरकों के चुनाव पर आदेश दिए जाने के औचित्य की जांच करें ।

6. यू० एस० व्यापार प्रक्रिया के लिए नोटिस से सामान्य छूट की जो घोषणा इस सार्वजनिक सूचना में की गई थी, वह सभी निजी क्षेत्र के लाइसेंसों और सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरणों/निजी क्षेत्र एककों को जिस विधि से लाइसेंस दिए गए हैं, उसी विधि पर सीधे आयात के लिए दिए गए उपक्रमों के लाइसेंस के लिए भी लागू होगी। सार्वजनिक अभिकरण/उपक्रम जो विदेशी मुद्रा निकासी के मद्दे डी० जी० एस० एंड डी०, नई दिल्ली तथा आई० एस० एम० वाशिंगटन के माध्यम से आयात कर रहे है, उन पर औपचारिक प्रातियोगिक बोली प्रक्रिया का लागू होना जारी रहेगा । राज्य व्यापार निगम भारत लि०, खनिज और धातु व्यापार निगम, भारत लि०, हिन्दुस्तान स्टील लि० और ऐसे ही सरकारी अभिकरण जो सरणीबद्ध करने वाले अभिकरण के रूप में अम्बार में आयात करने के लिए व्यस्त हैं, वे भी, पहले ही जैसा औपचारिक प्रातियोगिक बोली प्रक्रिया द्वारा शासित होगें ।

7. वे आयातक जो अपने आप संभावित यू० एस० सम्भरकों से सम्पर्क स्थापित करने में असमर्थ हैं, तो वे उस देश में विभिन्न यू० एस० कांसुलेटों के वाणिज्यिक अधिकारियों का सहयोग ले सकते हैं। भारत में यू० एस० कांसूलेट की लाइब्रेरी नई दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में है। नए पात्र उद्गम देशों में सम्भावित सम्भरकों का पता लगाने के लिए वे सम्बद्ध भारतीय राजदूतावासों की सहायता ले सकते हैं, साथ ही साथ इन देशों के राजनयिक मिशनों से भी सहायता ले सकते हैं। इतने पर भी कोई आयातक सम्भरक का उद्गम पाने में असमर्थ हैं, और वे प्रस्तावित अभिप्राप्ति को ए० आई० डी० अर्थयुक्त एक्सपोर्ट आपरचुनिटीज सरकुलेशन मे प्रकाशित करा कर बोलियां आमंत्रित करना चाहते हैं, तो आवश्यक कार्रवाई के लिए पहले जैसा ही, यू० एस० व्यापार के लिए नोटिस उद्योग विकास मंत्रालय (ए० आई० डी० अनुभाग) को प्रस्तुत करने में कोई बन्धन नहीं है।

8. यू० एस० व्यापार प्रक्रिया के लिए नोटिस की सामान्य छूट जिसकी घोषणा इसमें की गई है, वह शीघ्र प्रभावी होगी। लेकिन, जहां कहीं भी, आयातकों द्वारा यू० एस० व्यापार के लिए जो नोटिस प्रस्तुत किया गया है उसे ए० आई० डी०, वाशिंगटन को प्रकाशनार्थ भेजा गया है, उसे प्रकाशित कर दिया गया है। परेषित कर दिया गया है। उनके प्रत्युत्तर में जो निवेदित दरें प्राप्त हुई है, उन पर ध्यानपूर्वक दिया जाना चाहिए।

9. इसकी उपर्युक्त कंडिका 1 में जो सार्वजनिक सूचना दी गई है उसे इस सार्वजनिक सूचना द्वारा उपयुक्त रूप से आशोधित समझा जाए।

10. उपर्युक्त घोषणा के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण के लिए आवेदन-पत्र औद्योगिक विकास मंत्रालय (ए० आई० डी० अनुभाग) को सम्बोधित किए जाने चाहिए।

SUBJECT.—*West Coast Dock Strike in U.S.A. Revalidation of import licences.*

No. 102-ITC(PN)/71.—It has been reported that shipment of goods from the *West Coast* of the United States of America has been delayed/affected following a dock strike commencing from 1st July, 1971.

2. The question of revalidation of import licences affected by the strike has been considered and it has been decided that import licences which expired on 30th June, 1971 *including* the usual thirty days grace period will be deemed to have been automatically revalidated upto 30th September, 1971 (*exclusive* of the thirty days grace period) until further instructions, subject to the following conditions:—

(i) The automatic revalidation announced above will be applicable only to cases where shipments are scheduled to be made from the U.S. West Coast and limited to the extent of Letters of Credit already established or commitments already made for such shipments.

(ii) In the case of licences granted under the U.S.A. AID Non-Project Loans, the automatic revalidation announced above will be *further* limited to cases in which either the Letters of Credit opened are under AID Loans No. 386-H-207 or No. 386-H-212 or Family Planning Grant No. 386-H-601 or, if imports are under credit facilities, the order on the U.S. Suppliers has been placed on or after 1st January, 1970.

3. Licences need not be presented to the Licensing Authorities for revalidation. Clearance will be allowed by the customs authorities automatically on the strength of this Public Notice. Holders of licences under the U.S. AID Non-Project Loans other than *these importing under credit facilities should, however,* approach the Ministry of Finance (Deptt. of Economic Affairs) (Economic Aid Accounts Section) for corresponding extension in the validity of the authorisation letters for opening

letters of credit, with a letter, where necessary, from the bank which furnished the relative bank guarantee, extending the basic validity of the guarantee upto 30th November, 1971

Sd. M M SEN,
Chief Controller of Imports & Exports

विषय .— यू० एस० ए० मे पश्चिम समुद्रतट पर गोदी हड़ताल - आयात लाइसेंसो का पुनर्बंधीकरण ।

सं० 102-आई० डी० सी० (पी० एन०)/71.—इस बात का समाचार मिला है कि संयुक्त राज्य अमरीका के पश्चिमी समुद्रतट पर गोदी हड़ताल होने के कारण जोकि 1 जुलाई, 1971 को शुरू हुई थी, माल के जहाज लदान विलम्बित/प्रभावित हुए हैं ।

2. उपयुक्त हड़ताल से प्रभावित आयात लाइसेंसो के पुनर्बंधीकरण के प्रश्न पर विचार किया गया है और यह निश्चय किया गया है कि वे आयात लाइसेंस जिनकी अवधि 30 जून, 1971 को जिसमे सामान्य 30 दिन की रियायती अवधि भी शामिल है, समाप्त हो गई थी, वे स्वत 30 सितम्बर, 1971 तक (जिसमे 30 दिन की रियायती अवधि शामिल नही है) आगामी अनुदेशो के जारी होने तक और निम्नलिखित शर्तों के अधीन पुनर्बंध किए गए समझे जाएगे .—

(1) उपर्युक्त घोषित स्वत: पुनर्बंधीकरण केवल उन मामलो मे लागू होगा जिनमे यू० एस० पश्चिमी समुद्रतट से लदान नियत किए जाने है और उन मामलो तक सीमित होगा जिनमे साख-पत्र पहले से ही स्थापित कर दिए गए है या उन मामलो के लिए जिनमे ऐसे लदानो के लिए पहले से ही वचन दे दिए गए है ।

(2) यू० एस० ए० आई० डी०गैर-परियोजना ऋण के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए लाइसेंसो के मामले मे, उपर्युक्त स्वत पुनर्बंधीकरण उन मामलो मे और सीमित होगा जिनमे खोले गए साख पत्र ए० आई० डी० ऋण स० 386-एच - 207 के अन्तर्गत या स० 386-एच - 212 या परिवार नियोजन अनुदान स 386- एच - 601 के अन्तर्गत आते है या अगर साख सुविधा के अन्तगत आयात किए गए है और यू० एस० सभरको के लिए आदेश 1 जनवरी, 1970 अथवा उसके बाद दे दिए गए हैं ।

3 लाइसेंसो को पुनर्बंधीकरण के लिए लाइसेंस प्राधाकारियो को प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नही है । प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के आधार पर सीमा-शुल्क प्राधिकारियो द्वारा स्वत निकासी की स्वीकृति दी जाएगी । लेकिन साख-सुविधा के अन्तर्गत आयात करने वालो के अलावा य० एस० ए० आई० डी० गैर-परियोजना के अन्तर्गत आने वाले लाइसेंसधारियो को चाहिए कि वे साख पत्र खोलने के सबध मे प्राधिकरण पत्र की वैधता मे अनुकूल वृद्धि के लिए जहा आवश्यक हो उस बैंक के एक पत्र के साथ जिसने सबधित बैंक गारन्टी दी थी जिसमे गारन्टी की मूल वैधता अवधि को 30 नवम्बर, 1971 तक बढ़ाया गया था, वित्त मत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) (आर्थिक सहायता लेखा अनुभाग) को आवेदन करे ।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971